



प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक 28.05.2024 को बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र	ऋण खाता/ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
				अग्रिम धरोहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
1	मेस्सर्स श्री उमा इंडस्ट्रीज बालाजी पब्लिक स्कूल के बाजू में, रेलवे रैक पॉइंट के पास, गीतांजलि कॉलोनी वार्ड नंबर 21, छिंदवाड़ा पार्टनर्स एवं गारण्टर : i) श्री मणिलाल पटेल पिता श्री रामजी भाई पटेल ii) श्रीमती बसंती पटेल पिता श्री प्रेमजी भाई पटेल iii) श्रीमती ज्योतिबेन पटेल पिता श्री कृष्ण भाई पटेल iv) श्री जितेन्द्र पटेल पिता श्री मणिलाल पटेल v) श्री वरुण देशमुख पिता श्री मेशकुमार देशमुख vi) श्री आकाश पटेल पिता श्री बसंत पटेल केवल गारंटर vii) श्रीमती ज्योति पटेल पति श्री बसन्त पटेल संबंधित शाखा: मुख्य शाखा बुधवारी बाजार, छिंदवाड़ा (म.प्र)	रु.1,71,80,616/- + भविष्य व्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि/भवन: खसरा संख्या 2976/8, बी संख्या 177, पटवारी हल्का संख्या 22, बालाजी पब्लिक स्कूल के बाजू में, रेलवे रैक पॉइंट के पास, गीतांजलि कॉलोनी वार्ड नंबर 21 तहसील + जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र) क्षेत्रफल- 0.174 हेक्टेयर संपत्ति स्वामी – श्रीमती ज्योति पटेल पति श्री बसन्त पटेल कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा	रु	2,02,50,000/-
				रु	20,25,000/-
				रु	50,000/-
2	मेस्सर्स शेख शब्बीर प्रोप. श्री शेख शब्बीर पिता श्री शेख हबीब पता: वार्ड नंबर 12, चाचा मोहल्ला चांदामेटा तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा (म.प्र) गारण्टर : श्रीमती रेहाना फातिमा पति श्री शेख शब्बीर पता: वार्ड नंबर 12, चाचा मोहल्ला चांदामेटा तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा (म.प्र) संबंधित शाखा: परासिया, छिंदवाड़ा (म.प्र)	रु.1,56,34,042/- + भविष्य व्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि/भवन: खसरा नंबर 56/02, बी.नं. 402, प.ह.नं. 40, मौजा ग्राम बुटारिया, वार्ड नंबर 3 के पास, मुख्य मार्ग चांदामेटा तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा (म.प्र) क्षेत्रफल- 0.017 हेक्टेयर संपत्ति स्वामी – श्रीमती रेहाना फातिमा पति श्री शेख शब्बीर कब्जा प्रकार – प्रलक्षित/ सांकेतिक कब्जा	रु	1,28,53,000/-
				रु	12,85,300/-
				रु	50000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। हेल्पलाइन नंबर 033-22901004 पर संपर्क कर सकते हैं। ये संबंधित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है। ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय दिनांक 27.05.2024 साँय 7:00 बजे तक रहेगा।